अभियान/प्राथमिकता/द्वारा फैक्स/ई–मेल

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिपत्र संख्याः डीजी–30/2016 दिनांकः मई, 2, 2016.

सेवा में,

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/
पुलिस अधीक्षक,
जनपद प्रभारी, उ0प्र0।

विषयः– विस्फोटक सामग्री के लाइसेंस धारकों द्वारा लाइसेंस की शर्तो का उल्लंघन एवं दुरूपयोग किए जाने के कारण हो रही दुखद घटनाओं की रोकथाम के संबंध में।

जैसा कि आप अवगत हैं, विस्फोटक सामग्री के विक्रेताओं द्वारा उनको प्रदत्त लाइसेंस में निर्धारित शर्तों का निरन्तर उल्लंघन किए जाने के कारण विगत समय में प्रदेश के कई जनपदों में दुर्घटनायें घटित हुई हैं, जिनमें जनहानि के साथ चल व अचल सम्पत्ति को भी भारी नुकसान हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस मुख्यालय स्तर से पूर्व में निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार की घटनाओं को रोके जाने हेतु जनहित में निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना आवश्यक है। विस्फोटक पदार्थों के अवैध भंडारण एवं उसके प्रयोग पर अंकुश लगाना अत्यन्त आवश्यक है।

2. उल्लेखनीय है कि विस्फोटक पदार्थों के संबंध में विस्फोटक अधिनियम 1884 मुख्यतः लाइसेंस धारकों द्वारा अधिनियम के प्राविधानों का उल्लंघन करने पर लागू होता है एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 विस्फोटक सामग्री अवैध रूप से रखने व प्रयोग करने के सिलसिले में लागू होता है। विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा–5 के अन्तर्गत विस्फोटक सामग्री के लाइसेंस धारकों द्वारा नियमों के उल्लंघन पर धारा 9 (ख) के अन्तर्गत रूपये–1,000/–जुर्माने से लेकर 03 वर्ष तक सजा का प्राविधान है, जबकि गैर लाइसेंसधारी द्वारा विस्फोटक सामग्री रखने, अवैध प्रयोग एवं विस्फोट करने पर धाराः 3, 4 एवं 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत सजा का प्राविधान है, जो 5 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक है।

3. इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपका ध्यान विस्फोटक नियम 1983 के नियमः 179 की ओर, आकर्षित करना चाहूँगा, जिसके अधीन जिलाधिकारी, परगनाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक स्तर तक के पुलिस अधिकारियों को यह अधिकार है कि वह उन सभी स्थानों का निरीक्षण एवं तलाशी ले सकते हैं, जहॉ विस्फोटक सामग्री बनाई, रखी या बेची जा रही हो। आवश्यकता पड़ने पर विस्फोटक सामग्री को जब्त करने का भी अधिकार प्राप्त है।

इस सम्बन्ध में जनपद स्तर से निम्नांकित कार्यवाहियां अपेक्षित है :–

(1) विस्फोटक पदार्थ के लाइसेंस धारकों की थानावार सूची अद्यतन कर ली जाये। जिलाधिकारी के कार्यालय द्वारा सत्यापित सूची थाने पर उपलब्ध होनी चाहिये।

(2) विगत 05 वर्षों में विस्फोटक पदार्थों के अवैध प्रयोग में प्रकाश में आये अभियुक्तों की सूची बनायी जाये और उनकी वर्तमान गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाये।

(3) विस्फोट की घटना होने पर व्यापक एवं सघन तलाशी अवश्य ली जाये। जिन व्यक्तियों के पास विस्फोटक पदार्थ बरामद हों अथवा विस्फोटक पदार्थ का प्रयोग करते पाये गये हों,

ऐसे व्यक्तियों से सघन पूछताछ कम से कम क्षेत्राधिकारी स्तर पर की जाय। आवश्यकतानुसार पुलिस रिमाण्ड लेकर इस बात की जानकारी करने के प्रयास किये जायें कि विस्फोटक पदार्थ प्राप्त करने का वास्तविक स्रोत क्या है तथा विस्फोटक पदार्थ आपूर्ति करने वाले के विरूद्ध भी वैधानिक कार्यवाही की जाये।

(4) विस्फोटक पदार्थ के निर्माण स्थलों पर समय–समय पर आकस्मिक एवं प्रभावी दबिश दी जाय। ऐसे स्थानों की चेकिंग के समय कम से कम एक अधिकारी ऐसा होना चाहिये जो विस्फोटक पदार्थ के रख–रखाव/ निस्तारण के संबंध में आवश्यक जानकारी रखता हो।

(5) विस्फोटक पदार्थ प्राप्त करने का एक अन्य स्रोत खदान एवं पर्वतीय क्षेत्र में सड़क बनाने के स्थान हैं। चट्टानों को उड़ाने में विस्फोटक सामग्री का प्रयोग किया जाता है। बहुधा देखा गया है कि ठेकेदारों अथवा अन्य संबंधित व्यक्तियों द्वारा विस्फोटक सामग्री के भंडारण पर कड़ी निगरानी नहीं रखी जाती है। जहॉ ऐसा कार्य चल रहा हो, वहॉ के क्षेत्राधिकारी/परगनाधिकारी द्वारा चेकिंग अवश्य की जानी चाहिए जिससे विस्फोटक सामग्री अवांछित हाथों में न पहुॅच सके।

(6) जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद के अन्तर्गत विस्फोटक सामग्री के परिवहन संबंधी प्रणाली की समीक्षा की जाय और यह सुनिश्चित किया जाये कि विस्फोटक अधिनियम के अन्तर्गत निहित मापदण्ड के अनुसार विस्फोटक पदार्थ की परिवहन व्यवस्था की गयी है या नहीं।

(7) विस्फोटक सामग्री किसी स्थान पर पाये जाने की सूचना मिलने पर डॉग स्क्वाड का प्रयोग यथासम्भव किया जाना चाहिये। विस्फोटक सामग्री का पता लगाने हेतु विशेष प्रकार से प्रशिक्षित "Sniffer dogs" का प्रयोग किया जाये। डॉग स्क्वाड से विस्फोटक पदार्थ तथा उससे संबंधित अभियुक्तों का पता लगाने में सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त वर्तमान में BDDS (बम निरोधक दस्ता) टीम चतुर्थ वाहिनी पीएसी इलाहाबाद, छठीं वाहिनी पीएसी मेरठ, 8 वीं वाहिनी पीएसी बरेली, 15 वीं वाहिनी पीएसी आगरा, 20 वीं वाहिनी पीएसी आजमगढ़, 26 वीं वाहिनी पीएसी गोरखपुर, 32 वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ, 36 वीं वाहिनी पीएसी वाराणसी, 37 वीं वाहिनी पीएसी कानपुर एवं 41 वीं वाहिनी पीएसी गाजियाबाद तथा जनपदः अलीगढ़, फैजाबाद, गौतमबुद्धनगर, झांसी, मुरादाबाद, मिर्जापुर एवं सहारनपुर एवं जीआरपी इलाहाबाद, जीआरपी लखनऊ में उपलब्ध हैं, जिनसे समय–समय पर सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

(8) क्षेत्रीय संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए संबंधित थाना के स्टाफ को विशेष रूप से सजग किया जाये । अभिसूचना विभाग एवं स्थानीय अभिसूचना इकाई के कर्मचारियों का भी सहयोग लिया जाय।

(9) हर जनपद में, विशेष तौर से, जो साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से संवेदनशील हैं, ऐसे पुलिस कर्मी होने चाहिए जो विस्फोटक पदार्थों के निस्तारण में प्रशिक्षित हों। उनकी सूची वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के पास होनी चाहिए।

(10) विस्फोटक पदार्थों के अवैध प्रयोग में निरन्तर वृद्धि को देखते हुए यह आवश्यक है कि नियमित रूप से जनपद के सभी लाइसेंसदारों की आकस्मिक चेकिंग अवश्य की जाये और यदि कोई व्यक्ति लाइसेंस की शर्तों के विपरीत कार्य कर रहा हो, तो उसके विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाय।

(11) विस्फोटक सामग्री के लाइसेंस धारकों द्वारा लाइसेंस की शर्तो का उल्लंघन करना पाया जाय तो सम्बन्धित के लाइसेंस निरस्तीकरण के परिप्रेक्ष्य में सक्षम अधिकारी के स्तर से नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाये।

(12) जनपद के समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक तथा क्षेत्राधिकारी विस्फोटक सामग्री की अवैध बिक्री एवं मानक के अनुरूप विस्फोटक पदार्थों का प्रयोग न किए जाने तथा निर्धारित शर्तो के अन्तर्गत लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं के विरूद्ध नियमानुसार जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर प्रभावी कार्यवाही करना/कराना सुनिश्चित करें।

4. यह आवश्यकता अनुभव की गयी है कि विस्फोटक पदार्थो के अवैध भंडारण एवं प्रयोग को नियंत्रित करने हेतु प्रदेश स्तर पर एक अभियान चलाया जाये। अतएव निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशों का पालन कड़ाई के साथ सुनिश्चित किया जाये तथा इस सम्बन्ध में दिनांकः 06–06–2016 से दिनांकः 15–06–2016 तक विस्फोटक पदार्थों एवं लाइसेंस धारकों की चेकिंग का अभियान चलाया जाये, जिसमें शत प्रतिशत लाइसेंस धारकों के साथ–साथ अवैघ रूप से विस्फोटक पदार्थ का भंडारण/उपयोग करने वालों की सघन चेकिंग सुनिश्चित की जाय। चलाये गये अभियान में की गयी प्रगति के परिणाम से दिनांकः 20.06.2016 तक संलग्न प्रारूप के अनुसार इस मुख्यालय को अवगत कराया जाये।

संलग्नकःउपरोक्तानुसार।

2.6

(जावीद अहमद)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– पुलिस महानिदेशक, फायर सर्विस, फायर सर्विस मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
2– पुलिस महानिदेशक, सुरक्षा, सुरक्षा मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
3– अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ0प्र0, लखनऊ।
4– अपर पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना, अभिसूचना मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5– समस्त **जोनल** पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
6– समस्त **परिक्षेत्रीय** पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

दिनांकः 06–06–2016 से दिनांकः 15–06–2016 तक विस्फोटक पदार्थों एवं लाइसेंस धारकों की चेकिंग अभियान का प्रारूप

क0 सं0	जोन	परिक्षेत्र	जनपद	जनपद में कुल विस्फोटक सामग्री लाइसेंस धारकों की संख्या	जनपद में चेक किये गये लाइसेंस धारकों की संख्या	लाइसेंस की शर्तो का उल्लंघन करने वाले विस्फोटक सामग्री विकेताओं की संख्या	गैर लाइसेंसी व्यक्तियों द्वारा भंडारण/ उपयोग से सम्बन्धित प्रकरणों की संख्या	अवैध बरामद विस्फोटक सामग्री का विवरण	लाइसेंस की शर्तो का उल्लंघन करने वालें/ अवैध भंडारण/उप योग करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कृत कार्यवाही	विगत 05 वर्षो में विस्फोटक पदाथों के अवैध प्रयोग में प्रकाश मे आये अभियुक्तों के विरूद्ध कृत कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11